अनुदान संख्या 84 – वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
GRANT No. 84–DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1295,90,00	1336,92,00	1283,92,69	–52,99,31
पूरक	Supplementary	41,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				51,30,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	4,10,00	13,10,00	2,05,59	–11,04,41
पूरक	Supplementary	9,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (5299.31 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 4102.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5299.31 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4102.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	129109.00	128146.00	127989.10	–156.90
पू.	S.	4102.00			
पु.	R.	–5065.00			

(I) ''अन्य - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती लागू किए जाने के कारण निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं''- 92704.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 95804.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 5257.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(खा) ''बौद्धिक सम्पदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन''- 2000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3000.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2500.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(II) शीर्ष ''अन्य'' के अंतर्गत भी बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता - आधारभूत संरचना का पुनर्नवीकरण तथा पुनःसज्जीकरण'' - 900.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से स्कीम का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और उपयोग कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान''- 1307.43 लाख रु. की बचत (2630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने, उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 132.88 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत और 74 प्रतिशत थीं।

(I) Supplementary grant obtained under – "Others – Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" – remained wholly unutilised- due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance – under the following heads:-

(A) "National Laboratories" – the original provision of Rs.92704.00 lakhs was augmented to Rs.95804.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.5257.00 lakhs (including supplementary grant); and

(B) "Intellectual Property and Technology Management" – the original provision of Rs.2000.00 lakhs was augmented to Rs.3000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2500.00 lakhs (including supplementary grant).

(II) Under "Others" – savings also occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Council of Scientific and Industrial Research – Infrastructure Renovation and Refurbishing" – saving of Rs.900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in getting approval of the scheme from the competent authority.

(B) "Assistance to Other Scientific Bodies – Grants-in-aid for Technology Promotion Development and Utilisation Programme" – saving of Rs.1307.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2630.00 lakhs) was due to non - receipt of proposal, delay in procurement of equipment and reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under two heads savings of Rs.132.88 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 16 percent and 74 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4798.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''अन्य - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 4102.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''प्रशासन''- 1098.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1099.00 लाख रु. था।

(खा) ''अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति''- 3200.00 लाख रु.।

(गा) ''नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व का सूत्रपात''- 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1104.41 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 900.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

2. The above savings were partly (Rs.4798.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.4102.00 lakhs under "Others – Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" - under the following heads: -

(A) "Administration" – Rs.1098.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1099.00 lakhs.

(B) "Research Schemes, Scholarship and Fellowships"- Rs.3200.00 lakhs.

(C) "New Millennium Indian Technology Leadership Initiative" – Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1104.41 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.900.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 84 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4859'' दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय / Major Head "4859" Capital outlay on Telecommunication and Electronics Industries				
मू.	O. 200.00			
पू.	S. 450.00	. .	. .	. .
पु.	R. –650.00			
मुख्य शीर्ष ''6859'' दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योगों के लिए कर्ज / Major Head "6859" Loans for Telecommunication and Electronics Industries				
मू.	O. 200.00			
पू.	S. 450.00	200.00	200.00	. .
पु.	R. –450.00			

(I) 650.00 लाख रु. का प्रावधान (450.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) एक मामले में मुख्य शीर्ष "4859"- "इलेक्ट्रानिकी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश- केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड" के अंतर्गत व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने और बाद में निधियों को जारी न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.650.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.450.00 lakhs) remained wholly unutilised in one case under Major Head "4859" – "Electronics – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Central Electronics Ltd." - due to delay in approval by the Expenditure Finance Committee and subsequent non-release of funds.

(II) मुख्य शीर्ष "6859" - "इलेक्ट्रानिकी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड को कर्ज" के अंतर्गत 200.00 लाख रु. के मूल अनुदान को 450.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 650.00 लाख रु. कर दिया जो व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने और कुछ मामलों में निधियां जारी किए जाने संबंधी शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "6859" – "Electronics– Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Central Electronics Ltd." - the original provision of Rs.200.00 lakhs was augmented to Rs.650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.450.00 lakhs which remained unutilised - due to delay in approval by the Expenditure Finance Committee and non-fulfillment of conditions for release of funds in certain cases.